

## बीमा कम्पनी की शाखा सीज

जैसलमेर, (नि.सं.)। जैसलमेर में गुरुवार को कोर्ट के आदेश पर यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की जैसलमेर ब्रांच को सीज कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई सोनार दुर्ग पार्किंग लिंक रोड स्थित शाखा पर की गई। मामला

साल 2022 में हुए एक सड़क हादसे से जुड़ा है, जिसमें जोधपुर से जैसलमेर आते समय इनोवा कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हादसे में कार सवार जितेंद्र बिस्वा, उनकी पत्नी श्वेता बिस्वा और बच्ची मयूरी व्यास गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

| <div>समन बनाम मुदायालाह विनावर कायमी तनकायात</div> <div><span>(अंग्रेज़ शब्द में 5 क़ानून दोस्तों)</span></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <span></span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| अज्ञ अदालत....सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जालौर मुकाम जलौर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| इजलास ..... RS/26/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| मुर्दा रकाबर बनम मुदयवाहल पुरलकंकर कौरद दावा अनर्गत पारा 88,188 कारकाबरी अधिनियम राजस्थान मुलुखद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| मुसुमिनी –1. पुरलकंकर पुत्री हरिसिंहजी जालि रवजुपु नवसुनी युवा, 2. केदारकंकर पुत्री हरिसिंहजी जालि रवजुपु निवासि युवा, 3/1. किरनकंकर पुत्री यदिवर कंकर, 3/2. चोपुकर पुत्री यदिवरकंकर नावलीजी की जलिये बहली बली दलपतसिंह पुत्र मोमसिंहजी जालि रवजुपु निवासी देलदरी, 4. लोलकंकर पुत्री हरिसिंह जी, 5. नाहरसिंहजी पुत्र परचवतसिंहजी, 6. गणसिंह पुत्र परचवतसिंहजी निवासिजी युवा, 6. भंवरसिंहजी पुत्र शिवनयसिंहजी जालि रवजुपु निवासि सांघु महलाल काला निवासि हरगजह कि जालि ने आदिके विचारक एक दावा अनर्गत पारा 88,188 राजस्थान कारकाबरी अधिनियम का दायर किया है। लिखावा आयाको बलाकि इस तयारी के दावा को जबाब देते है। निवेदन करीब 10 माह 11 म्म 2025 को दिन के 11:00 ए.एम बजे अदालत हाउस में अंसातलाय या मारफात ऐसे बलीके को हो हासल मुकदमे के बाकिर किया गया है वो कुल अजर अजर मुसलिक जबाब दे दते है या सिर्फे के दावा देता कोई अदर हो। को ऐसे सत्यता का जबाब दे सके हारसिंह रहते है लिए सत्य किया जाता है और आदिके दिवदाम को जालि है कि जालि सत्यताबल विवर पर आप अपने जवाबदारी का दावेर में इस्तेमाल करना चाहता हो वो उस दिन पेस को आगाह रहे कि अगर कबो मरकुर अगर दिखि न हुए तो दावा आपको ही हावरी में खुवा व फैसला किया जावगा। बसिब मेर दलखवा व अदालत के आज तारीख 27 माह 10 सन 2025 को मीती किया गया। |
| <div><div><span><span>सहायक कलेक्टर</span></span><span> </span><span>(एस.डी.ओ.)</span>, जालौर</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div>मोहर</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| <div>कार्यालय ग्राम पंचायत लैटा, पं. स. जालोर जिला जालोर</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <span>क्रमांक / प्राप/2025–26/137</span> दिनांक: 30/10/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>निविदा सूचना संख्या 03/2025–26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <span></span> <div>ग्राम पंचायत लेटा द्वारा 1 कार्यों हेतु राजस्थान पंचायती राज. नियम 1996 के नियमों के तहत पंचायती राज विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग , जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग, नगर निगम एवं राज्य सरकार के अधिकृत संगठनों मे पंजीकृत सक्षम श्रेणी के संवेद्यकों से निर्धारित पत्र मे प्राप्त की जावेगी। निविदा के सम्बन्धित विवरण वेब साईट http://sppp.rajjasthan.gov.in एवं ग्राम पंचायत नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है</div> |
| <b>NIB NO. - ZJR2526A0577</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UBN NO. - ZJR2526WSOB00908</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>सरपंच/प्रशासक</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ग्राम पंचायत लेटा</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>पं. स. जालोर ( राज. )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ग्राम विकास अधिकारी</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ग्राम पंचायत लेटा</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>पं. स. जालोर ( राज. )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| <div>कार्यालय नगरपालिका पोकरण, जिला जैसलमेर (राज.)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <span>क्रमांक :- न.पा.पो./2025/3750</span> दिनांक:- 29.10.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>--: अधिसूचना :-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <span></span> एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्लास्टिक प्रतिबंधित अधिनियम 2016 में राजपत्र अधिसूचना संख्या 169 द्वाा दिनांक 11 मार्च 2021 को प्लास्टिक प्रबंधन सशोधन किया गया है। उक्त नियम के बिन्दु क्रमांक 04 के अनुसार दिनांक 30 सितम्बर 2021 से 75 माइक्रोन से कम की मोटाई वाले प्लास्टिक केरी बैग को बहुर से फेरने वाले कचरे को रोकने के लिए 30 सितम्बर 2021 से प्रचलित पर प्रतिबंध लगाया गया है, हल्के वजन वाले प्लास्टिक केरी बैग को वहा से फेरने वाले कचरे को रोकने के लिए 30 सितम्बर 2022 से प्लास्टिक केरी बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढाकर 75 माइक्रोन और 31 दिसम्बर 2021 से 120 माईक्रोन कर दी गई है। 01 जुलाई 2022 से पालिस्टीन और विस्वालि पालिस्टीन समेत निम्नलिखित फल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात भंडारण, क्रय विक्रय परिवहन और उपयोग को प्रतिबंधित किया जाएगा। <p>• प्लास्टिक के डिब्बों से लैस ईयर बड्स, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक को डिब्बों प्लास्टिक झण्डे, कैण्ड्री, आलोकम्री को डिब्बा, सजावट के लिये पालिस्टीन (थर्मोकोल) आदि। • प्लेट, कप, गिलास काटे चम्मच, चाकू र्ट्ग, ट्रेन जैसी कटलरी, मिठाई के डिब्बों के चारों और लपेटो वाले या पैकिंग करने वाली फिल्म, निर्माण काई और सिमरेंट के पैकेट, 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक यूबीसी बैरन, स्टिकर एवं अन्य समस्त सिलिल यूज प्लास्टिक (डिस्पोजबल) आदि। • अन्तर्गत प्लास्टिक पॉलिथीन के उपयोग क्रय विक्रय परिवहन एवं भंडारण पर नगर पालिका पोकरण क्षेत्र में पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।</p> आतः कहे की व्यक्ति इस अधिसूचना प्रकाशन के 07 दिवस बाद उक्त प्रतिबंध का उल्लंघन काले पाया जाता है तो बली कर 1000/- रु. प्रतिक्लो का जुर्माना एवं प्लास्टिक प्रतिबंध अधिनियम 2016 के प्राधानों के अन्तर्गत संबंधित को 5 वर्ष के कारावास को कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकती है। जिसकी समस्त प्रक्रा की जवाबदेही आप स्वयं की होगी। |
| <div><div><div><div><span></span><div><div><span><span></span></span></div></div></div><div>सो सूचित रहे.....</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>अधिशाषी अधिकारी</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>नगरपालिका पोकरण</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

कार्यालय नगरपालिका सांचौर, जिला-जालौर (राज.)

(टेलिफोन नम्बर-02979-283280, 02979-283280, Fax (862632) व ई-मेल आई.डी. eosanchoe.lkg@rajasthan.gov.in & eosanchoe2010@gmail.com)

क्रमांक : न.प.सा. / 2025 / 4537

दिनांक : 28.10.2025

--: आपत्ति विज्ञप्ति --:

सर्व साधारण एवं आमजन को सूचित किया जाता है कि परिषद परिवेज में मिलेख, वसीयत, हकत्याग, उत्तराधिकारी, गिफ्टडीडी आदि से खरीददुदा को नामान्तरण /उपविभाजन /संयुक्तिकरण प्रमाण पत्र हेतु प्राप्य आवेदन पत्रों का विस्तृत विवरण नीचे अंकित है। इसमें वर्णित सम्पत्तियों के नामान्तरण /उपविभाजन / संयुक्तिकरण प्रमाण पत्र में किसी व्यक्ति विशेष को कोई आपत्ति हो तो वह आपत्ति मध्य टोकर दस्तावेज सहित इस सूचना के प्रकाशन होने की दिनांक से 3 दिवस में इस कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे। उपरोक्त अवधि के समाप्त के उपरान्त प्राप्त होने वाली आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी। तथा सम्पत्ति आवेदनकर्ता के नाम नामान्तरण /उपविभाजन /संयुक्तिकरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया जावेगा।

| क्र.सं. | आवेदनकर्ता का नाम                                        | स्थल जहां सम्पत्ति है                                      | पत्रावली संख्या | पत्रावली का प्रकार                  | पट्टा संख्या /वर्ष | भूखण्ड संख्या | कुल रकबा (वर्गगज) |
|---------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 1       | किशनलाल पुत्र श्री कुपारामजी कलवी                        | प्रतापपुर सांचौर                                           | 363/2025        | नामान्तरण (वाणिज्यिक –पेट्रोल पम्प) | 3041/2016          | -             | 136.11            |
| 2       | जामा देवी पत्नी श्री कानिलालजी भाट                       | धरली विला मौखपुरा सांचौर                                   | 364/2025        | नामान्तरण                           | 7294/2022          | 71            | 166.66            |
| 3       | प्रमुराम पुत्र धनाराम चौधरी प्रमुराम पुत्र भावाराम चौधरी | बिजलाराम कोलीजी अगर रोड सांचौर                             | 365/2025        | नामान्तरण                           | 1670/2013          | 12            | 169.44            |
| 4       | सरलसिंह पुत्र सरदारसिंह राजपुत्र                         | बरावर रोड मौखपुरा सांचौर                                   | 366/2025        | नामान्तरण                           | 854/2010 855/2010  | 5 8           | 213.33            |
| 5       | वामा देवी पत्नी श्री हरखाराम पुरोहित                     | हिंगलाल नगर मोरियावासर सांचौर                              | 367/2025        | नामान्तरण                           | 26/2005            | -             | 200               |
| 6       | शोभामा देवी पत्नी श्री अवाराम कलवी                       | मोदी नगर कोलीजी अगर रोड सांचौर                             | 368/2025        | नामान्तरण                           | 5272/2019          | 09            | 200               |
| 7       | धनाराम सुधार पुत्र श्री बाबुलाल सुधार                    | बालाजी नगर कोलीजी सांचौर                                   | 369/2025        | नामान्तरण (वाणिज्यिक)               | 325/2007           | C             | 40.83             |
| 8       | ओनिया पत्नी श्री महानन्दजी माहेश्वरी                     | भी बाबोजी अपार्टमेंट में द्वितीय तल पर स्थित फ्लेट, सांचौर | 370/2025        | नामान्तरण (आवासीय फ्लेट)            | 324/2007           | 203           | 83.33             |
| 9       | धनाराम सुधार पुत्र श्री बाबुलाल सुधार                    | बालाजी नगर कोलीजी सांचौर                                   | 75/2025         | उपविभाजन (वाणिज्यिक)                | 325/2007           | C             | 40.83             |

राज संसाद / सी / 25 / 12889

अधिशायी अधिकारी

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                    |                                       |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>स्टेशन रोड शाखा, रिजर्व पुलिस लाईन<br/>के सामने जयपुर, राजस्थान 302001<br/>ई-मेल: <a href="mailto:stajai@bankofbaroda.com">stajai@bankofbaroda.com</a></div> |                                                        |                                                    |                                       |                                                  |
| <div>अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस<br/>“परिशिष्ट-IV-क” [नियम 8( 6 ) का परन्तुक देखें]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                    |                                       |                                                  |
| <div>प्रतिष्ठित हित ( प्रकटन ) नियम, 2002 के नियम 8( 6 ) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आसित्यों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिष्ठित हित का प्रकटन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आसित्यों को विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।</div> <div>आय लक्ष्यों को तथा विशेष रूप से उच्च लेने वाले और प्रभावित-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार को पास गिरीवी है, का कच्चा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जो “जैसी है जहां है,” और “जिन्नी भी उत्पन्न है” के आधार पर बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि नीचे उल्लेखित खातों की वसूली हेतु बेचा जाएगा। अधिवा/बंधककर्ताओं/अपमानितारों/प्रतिभूत आसित्यों/बकायों/आसित्व मूल्य/ई-नीलामी की दिनांक व समय, बराबर राशि एवं बोली बुद्धि राशि का विवरण नीचे वर्णित है-</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                    |                                       |                                                  |
| क्र./लॉट सं०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अधिवा/अपमानितारों/बंधककर्ताओं का नाम एवं पते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ज्ञात संपत्ति के साथ अचल संपत्ति का सौंपित विवरण, यदि कोई हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कुल बकाया राशि मांग एवं के अनुसार                                                                                                                                 | ई-नीलामी की तिथि/ई-निवेष्ट बा ब्या प्रारंभ एवं संचालित | आरक्षित मूल्य शरीर राशि (रुपयकी )/बोली बुद्धि राशि | कच्चे की वित्ति ( संकोतित/ वास्तविक ) | संपत्ति निरीक्षण की तिथि व समय                   |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | फैमर्स गोवर्धन टेक्सटाइल्स प्रा. लि.- प्लॉट नं. 02, प्रखल तन, श्री गंगी विहार, सांगानर, रीको काटा के पास, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान 302020 रजि. पता- ए-36, न्यू सचिवालय विकास कार्यालय, इंडस्ट्रियल एरिया कोवलावा, जयपुर, राजस्थान 303108 प्रेषाप्रतिष्ठित- श्री गोविन्द राजू पुत्री श्री ओमप्रकाश राठी फ्लैट नं बी-2206, 21वां तल, स्वयं टेरेस, सिप्रा पव, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान 302020 एवं 320, धर्नवाडी का बास पहाडमोटे, जोधपुर कच्छी, जोधपुर, राजस्थान 342006 एवं 32, आदर्रा नगर, लाल सागर, जोधपुर, राजस्थान 342007 | श्री गोविन्द राजू पुत्री श्री ओमप्रकाश राठी के नाम आवासीय सम्पत्ति जो प्लुटिंट नं- सी-82, द्वितीय तल, टॉवर-नं. 3, बुनिक न्यू टाऊन फेज-11, गॉव महल, जगतपुरा, महसूल सांगानर, जिला जयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका मूल्य अरु पुरिया 48,75.55 रुर्ष फ्लैट ( कापेट पुरिया 638.64 रुर्ष फ्लैट ) है। सीमाएं- पूर्व: खुला आकाश, पश्चिम: खुला आकाश, उत्तर: प्लैट नं. सी-92, दक्षिण: गोवर्धन राजू एवं प्लैट नं. सी-72 अन्य कुछ भाग: ज्ञात नहीं | रुपये 83,97,222.74 दिनांक 26.08.2024 को बकाया एवं आगे का व्यय व अन्य ब्यावली खाते बसुली है।                                                                       | 19.11.2025                                             | आरक्षित मूल्य- रुपये 4,80,510/-                    | वार्षावधिक                            | 14.11.2025 दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   | दोपहर 02:00 बजे से संध्य 06:00 बजे तक                  | बरोहर राशि- रुपये 4,80,510/-                       |                                       |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                        | बोली बुद्धि राशि- रुपये 20,000/-                   |                                       |                                                  |
| <div>विक्रय के निबंधन और शर्तों के अन्तर् के लिए कृपया नीचे दिए गए वेबसाइट अर्थात <a href="https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm">https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm</a> एवं ऑनलाइन नीलामी पोर्टल <a href="https://baanknet.com">https://baanknet.com</a> देखें। इसके अलावा संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी से मां बाईलनं. 8094018326 पर संपर्क कर सकते हैं।</div> <div>हस्ता. प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ बड़ौदा</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                    |                                       |                                                  |
| <div>दिनांक: 29.10.2025<br/>स्थान: जयपुर</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                    |                                       |                                                  |

# गाय की पूजा की, चुनरी ओढ़ाई व मिठाई-फलों का भोग लगाया

जोधपुर, (कासं)। दीपावली के बाद आने वाली कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर आज गोपष्टमी पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस दौरान गाय-बछड़ों की पूजा की गई। उन्हें मिठाई व फलों का भोग लगाया।

धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान श्रीकृष्ण ने गौचारण शुरू किया था, इसलिए इसी तिथि पर गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है।

पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आज मनाई गई। इस दौरान रातानाडी कृष्ण मंदिर के पास गाय बछड़े की पूजा की गई। यहां चौराहे पर लगी गौ माता की प्रतिमा पर क्षेत्रवासियों ने चुनरी ओढ़ाकर उसकी पूजा की।

मंदिर पुजारी हरिभाई गोस्वामी ने बताया कि श्रीकृष्ण मंदिर में भी

## जहरीले कीट के काटने से कृषक की मौत

जोधपुर, (कासं)। निकटवर्ती स्वामीजी की ढाणी केलावा गांव में एक कृषक की जहरीले जंतु के काटने से मौत हो गई। उसके भाई की तरफ से करवड़ थाने में मर्ग में रिपोर्ट दी गई। करवड़ पुलिस ने बताया कि स्वामीजी की ढाणी के लावाकलां निवासी 48 वर्षीय शेर गिरी पुत्र शिव गिरी अपने खेत पर काम कर रहा था। उस दौरान उसे किसी जहरीले जंतु ने काट लिया। जिस पर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मगर उसकी बाद में मौत हो गई।

# संयम लेने से ही पापों का नाश होगा : सुमित मुनि

जोधपुर, (कासं)। चौरडिया भवन में सुमित मुनि ने कहा कि संयम लेने से ही पापों का नाश होगा।गौतम स्वामी के पास सही प्रज्ञा थी। वे प्रभु वचनों को सत्य मानते हैं, लेकिन गौशालक परमात्मा के पास के पास श्रद्धा से नहीं कुतुहल देखने आया आया था, गौतम स्वामी ने मोक्ष पाया था लेकिन गौशालक का कर्म बचन हो गया। तत्व का निर्णय करने में उपयोग,प्रज्ञा बुद्धि लगाना ही पुरुषार्थ है। प्रज्ञा से वास्तविकता समझने पर ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा।

उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे जीवन में क्रोध, माया आदि कषाय रहे हुए इनको अपनी प्रज्ञा को जागृत कर पुरुषार्थ जगाने से ये कषाय हमसे अलग हो जाते है।

श्रद्धा हमारी आंख है, प्रभु ने जो फरमाया है वह त्रैकालिक सत्य है। इससे हमे मोक्ष का लक्ष्य निर्धारण करने में सहायता मिलेगी एवं संयम लेना प्राप्त होगा।

हमको नित्य साधु चर्या का चिंतन कर अपने से तुलना करनी चाहिये कि मैं उनके जीवन का किंतना प्रतिशत जी रहा हूं।

यदि सामायिक, चौविहार, संवर एवं पौषध करने का लक्ष्य

तहत गायों का विधिवत पूजन कर उन्हें गुड़ एवं हरे चारे से भोजन कराया गया। वहीं चौपासनी श्याम मनोहर प्रभु मंदिर एवं श्याम मनोहर गोशाला में गोपाष्टमी उत्सव धूमधाम से मनाया गया।

### पिंजरापोल गोशाला में कार्यक्रम हुआ

पाली, (नि.सं.)। गोष्टाष्टमी पर्व शहर सहित जिले भर में गोशाला में गौ माता की पूजा की गई और लापसी का भोग खिलाया गया।

पाली शहर में मुख्य कार्यक्रम पिंजरापोल गोशाला में आयोजित हुआ, जहां सुबह से ही महिलाओं ने गौ माता और बछड़े की पूजा कर आशीर्वाद लिया। वही गायों को लापसी खिलाई गई। 11 बजे आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर एनएम मंत्री, पूर्व सांसद पुष्प जैन, पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख,

# डॉ. प्रतिभा ने जिला परिषद का निरीक्षण किया

इस दौरान उन्होंने जिला परिषद जालोर के लेखा, स्टोर, ऑडिट पैराज, निरीक्षण, सम्पर्क प्रकरण, जांच प्रकरण एवं अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा कर तदनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिए।

संभागीय आयुक्त ने अधिकारियों से चर्चा के दौरान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत स्कूलों, राजकीय भवनों तथा सार्वजनिक स्थलों पर गौचालयो की साफ सफाई एवं आवश्यकतानुसार निर्माण करवाने के

### दो साल तक देहशोषण

जोधपुर, (कासं)। जिला पूर्व में एक नाबालिंग से दो साल तक यौन शोषण करने का मामला पुलिस में दर्ज हुआ है।

पीड़िता के फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर यौन शोषण किया गया। अब पुलिस से इस बारे में मामले दर्ज कर जांच आदेश की है।

जिला पूर्व की नागरी गेट पुलिस ने बताया कि एक युवक पर नाबालिंग से दो साल से यौन शोषण किए जाने का आरोप पीड़िता के पिता ने लगाया है। विरोध किए जाने पर उसे फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अब जांच आदेश की है। आरोपी पीड़िता के संपर्क में वर्ष 2023 में आया था।

# हार्डकोर्ट : कार्य व्यवस्थार्थ किए स्थानांतरण पर रोक

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपरी के न्यायाधीश मुनुरी लक्ष्मण ने असक्षम अधिकारी द्वारा की गयी कार्यव्यवस्था पर अंतरिम रूप से रोक लगायी।

बीकानेर निवासी उमेश कुमार जो वर्तमान में जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर के तहत आंतरिक जांच परियोजना बीकानेर में सहायक लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत है। सहायक लेखाधिकारी के पद पर पदेनित वर्ष 2012 में सचिव (प्रशासन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर द्वारा किया। उसका पदस्थापन आंतरिक निरीक्षण शाखा बीकानेर में किया। पदेनित स्थान पर कार्यग्रहण भी कर लिया व वर्तमान में यही कार्यरत है। 23.सितंबर 2025 की उसका कार्य

व्यवस्थार्थ की आड़ में मुख्य नियंत्रक लेखाधिकारी जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर द्वारा स्थानांतरण बीकानेर से फलीदी किया गया। साथ ही फलीदी लिये तुरन्त कार्यमुक्त करने का आदेश भी 24 सितंबर 2025 को पारित कर दिया गया।

विभाग के इस कृत्य से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने आदेश 23.09.2025 एवं 24.09.2025 से व्यथित होकर अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा के माध्यम से चुनौती दी। उच्च न्यायालय के समक्ष बोहरा का तर्क था कि प्रथमतया उसका कार्य व्यवस्था की आड़ में किया गया स्थानांतरण असक्षम अधिकारी द्वारा किया गया। याचिकाकर्ता का सक्षम अधिकारी सचिव (प्रशासन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपर है व उसका कार्य विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रमके तहत बीएलओ द्वारा प्रत्येक घर पहुँच परिगणना प्रपत्रों का विवरण किया जायेगा जिस पर मतदाताओं को अपनी नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा करने तथा वॉलेंट साइन करने परीक्षण होगा। परिगणना प्रपत्र को बीएलओ द्वारा पुनः घर-घर पहुँच संग्रहण किया जायेगा। एसआईआर का उद्देश्य स्वस्थ मतदाता सूचियों का निर्माण करना है जिसमें सभी पात्र व्यक्तियों को शामिल किया जायेगा। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से प्रत्येक बृथ पर बीएलए की नियुक्ति सहित स्वस्थ मतदाता सूचियों के निर्माण के लिए विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश मेवाडा, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी लादेश शर्मा, निर्वाचन शाखा के संशुसिंह, भाजपा के केशव व्यास, शुभ सोलंकी व डिंपल सिंह, आईएनसी के भंवरलाल मेघवाल, रमेश सोलंकी व सैयद मुमताज अली सहित कई जने उपस्थित रहे।

### सार-समाचार सांसद के गांव जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त

जालोर, (कासं)। भाजपा की डबल इंजन सरकार होने के बावजूद भाजपा के जालोर सिरोही सांसद अपने पैतृक गांव को जोड़ने वाली करीब 70 किमी सिरोही-रेवदर-मंडार मार्ग क्षतिग्रस्त होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिरोही जिले के रेवदर- मंडार मार्ग जाने वाला मार्ग जगह जगह क्षतिग्रस्त होने के साथ मार्ग पर कई जगह खड्डे आमजन के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। इस मार्ग पर जिले की बड़ी हस्तियों के पैतृक गांव हैं, लेकिन इस मार्ग की स्थिति सुघरते नहीं दिख रही। फिर चाहे जिले की सबसे बड़ी पंचायत के मुखिया जिला प्रमुख हो या केंद्र में जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले जालोर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी का पैतृक गांव वाडेली और जिला प्रमुख का गांव जीरावल इसी रेवदर-मंडार मार्ग से जुड़े हुए हैं। इन्का आवागमन इसी दूटे-फूटे मार्ग से होता है, लेकिन सालभर मरम्मत के लिए स्वीकृत हुआ पांच करोड़ रुपए का बजट कहा गया, किसी को कुछ पता नहीं है। एनएच की मरम्मत और फोरलेने के लिए होपीआर तैयार करने की खातिर बजट स्वीकृति हुई थी। इस बजट में से करीब पांच करोड रुपए की राशि केवल मरम्मत के लिए ही थी, लेकिन सालभर बाद भी इस सडक पर ज्यादा कुछ नहीं हो पाया। यहां तक की एनएच के अधिकारी इस सम्बंध में बात करने से भी कतरा रहे हैं। इस राज्यमार्ग को टोल कंपनी से हटाकर जब राष्ट्रीय राजमार्ग के अधीन किया गया तो मरम्मत के लिए राशि स्वीकृत हुई। इसलिए की जब तक फोरलेने में बस पता नहीं है। तब तक वाहन चालकों को आवागमन में समस्या न हो। इसके तहत इस पूरी सडक पर जहां समस्या थी, उसे मरम्मत करते हुए दुस्तर करना था, लेकिन महज कुछ जगहों पर पेंचवर्क लगाकर इतिश्री कर ली गई। वही हाल ही में राज्य सरकार की बीस माह की उपलब्धियां बताने का ढिंडोरा पीटा गया, लेकिन सिरोही जिले की यह मुख्य सडक अपनी बदहाली में अचूक बहा रही है। इस रोड से टोल हटाए जाने का श्रेय लेने के लिए भी स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधि ढिंडोरा पीट चुके हैं। वैसे सालभर पहले एनएच के अधीन कर देने के बाद बजट स्वीकृति भी हुई पर मरम्मत कार्य क्यों नहीं हुआ इस पर ध्यान नहीं जा रहा।

### जोधपुर में ई-डीएआर पोर्टल लांच

जोधपुर, (कासं)। सडक हादसों में राहत, जांच और मुआवजा प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित बनाने की दिशा में पुलिस आयुक्तालय जोधपुर ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। गुरवार को पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) विनीत कुमार बंसल, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त रोशन मीना एवं एनआईसी प्रतिनिधि पवन मिश्रा (जिला रोल आउट मैनेजर, एनआईसी जोधपुर) की उपस्थिति में ई-डीएआर पोर्टल का शुभारंभ किया गया। ई-डीएआर पोर्टल आईआरएडी का अपडेटेड संस्करण है। पहले जहां सडक हादसों की केवल रिपोर्टिंग की सुविधा थी, वहीं अब इस पोर्टल में मुआवजा, बीमा दावे और जांच प्रक्रिया को भी जोड़ा गया है। यह पोर्टल सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित किया गया है। इसके माध्यम से सडक दुर्घटना से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं रिपोर्ट दर्ज करने से लेकर राहत एवं मुआवजे तक पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होंगी। ई-डीएआर पोर्टल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह देशभर के सडक हादसों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार करता है। इसमें पुलिस, परिवहन विभाग, सडक निर्माण एजेंसियां, अस्पताल, न्यायालय और बीमा कंपनियां एक ही प्लेटफॉर्म पर जुड़ी रहेंगी। इससे दुर्घटना के बाद दर्ज सूचना साझा करना संभव होगा, जिससे राहत, उपचार और मुआवजा प्रक्रिया में विलंब नहीं होगा। पोर्टल पर अपलोड किए गए डाटा में घटनास्थल का विवरण, वाहन की जानकारी, घायल या मृतक की स्थिति, मौला विवरण आदि शामिल होंगे। इन आंकड़ों के माध्यम से न केवल सडक सुरक्षा अभियानों की बेहतर योजना बनाई जा सकेगी बल्कि न्यायालय और बीमा कंपनियों को भी प्रमाणिक डेटा उपलब्ध होगा।

### आठ खाईवाल गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। कमिश्नर पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर जुआगियों की धरपकड़ करते हुए आठ खाईवाल को पकड़ा। खांडा फलसा थाने के हैड कांस्टेबल करनाराम ने पांचवीं रोड क्षेत्र में मोहम्मद रमजान पुत्र शमी मोहम्मद को गिरफ्तार कर दाव पर लगी 880 रूपए जब्त किए। इसी तरह मंडोर थाने में तैनात एसआई अरूणा कुमारी ने नयापुल में क्षेत्र में मुब्बाखाई कर रहे ड्रंगरसिंह पुत्र खंवरलाल को गिरफ्तार कर दाव पर लगी राशि जब्त की। उदयमंदिर थाने के एसआई मनोज कुमार ने पब्लिक पार्क केव में गुब्बाखाई कर रहे सोनू पुत्र साकिर को गिरफ्तार कर दाव पर लगी राशि जब्त की। सदर कोतवाली थाने के एसएसआई अर्जुनसिंह ने कब्बाडख़आना घंटाघर क्षेत्र में गुब्बाखाई कर रहे अय्यूब खान पुत्र नजीर खान को, थाने के एसएसआई हरिराम ने घंटाघर सखी मंडी के दुकानों के पास गुब्बाखाई कर रहे अशोक पुत्र रामचन्द्र को तथा थाने के एसएसआई नाकनाराम ने घंटाघर सखी मंडी में महेश पुत्र बृजबिहारी शर्मा को पकड़ा। इसी प्रकार सदर बाजार थाने के एसआई गंगाराम ने बम्बा मोहल्ला क्षेत्र में मोहम्मद हाजी को और भगत की कोठी थाने के हैड कांस्टेबल अमर सिंह ने लूटिड फैक्ट्री के सामने वकार युशुश पुत्र अब्दुल रहिम को पकड़ा।

### साइबर जागरूकता के लिए रैली निकाली

पाली, (नि.सं.)। आदर्श सि